RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक २९(३)] **गुरुवार, ऑगस्ट १०, २०१७/श्रावण १९, शके १९३९** **[पृष्ठे ९, किंमत : रुपये ४७.००**

असाधारण क्रमांक ५२

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक १० अगस्त २०१७ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक, महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. LVII OF 2017.

A BILL

TO PROVIDE PROTECTION TO THE WITNESSES IN CRIMINAL TRIALS, THEIR RELATIVES IN RELATION TO SERIOUS OFFENCES AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ५७, सन् २०१७ ।

दांडिक विचारणों में साक्षीयों, गंभीर अपराधों के संबंध में उनके रिश्तेदारों को संरक्षण और तत्संबंधी या उससे अनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने संबंधी विधेयक ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, दांडिक विचारणों में साक्षीयों, गंभीर अपराधों के संबंध में उनके रिश्तेदारों को संरक्षण और तत्संबंधी या उससे अनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के अडसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र साक्षी संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम, २०१७ कहलाए ।

(२) यह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में विस्तारित होगा ।

(३) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें ।

परिभाषाएँ ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(१) " समिति या जिला समिति " का तात्पर्य, धारा ३ के अधीन गठित की गई जिला साक्षी संरक्षण समिति से है और जिसमें महानगरीय क्षेत्र के लिए और आयुक्तालय क्षेत्र (महानगरीय क्षेत्र से अन्य) के लिए की समिति सम्मिलित है ;

(ख) " दाण्डिक विचारण " का तात्पर्य, गंभीर अपराधों के लिये विचारण करने से है ;

(ग) " गंभीर अपराधों " का तात्पर्य, ऐसे अपराधों से है जिन्हें मृत्यु से या आजीवन कारावास या सात वर्षों से अधिक कारावास से दण्डित किया जाता है ;

(घ) " राज्य समिति " का तात्पर्य, धारा ३ के अधीन गठित की गई राज्य साक्षी संरक्षण समिति से है ;

(ङ) " साक्षी " जिसमें गंभीर अपराधों के लिये विचारण में धमकी के अधीन पीड़ित और उसके नजदीकी रिश्तेदार शामिल होंगे ।

समितियों का गठन ।

३. (१) राज्य सरकार, आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निम्न समिति, गठित कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) राज्य साक्षी संरक्षण समिति ।

(ख) प्रत्येक जिले के लिये जिला साक्षी संरक्षण समिति ।

(२) राज्य समिति का अध्यक्ष, आसूचना आयुक्त होगा और जैसा कि विहित किया जाए ऐसे अन्य अधिकारी सम्मिलित होंगे ।

(३) जिला समिति,—

(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा २ का खण्ड (ट) के अर्थान्तर्गत महानगरीय क्षेत्र में पुलिस आयुक्त, अध्यक्ष होगा और जैसा कि विहित किया जाए ऐसे दो अन्य अधिकारी सम्मिलित होंगे । सन् १९७४ का २ ।

(ख) आयुक्तालय क्षेत्र में (महानगरीय क्षेत्र से अन्य) पुलिस आयुक्त, अध्यक्ष होगा और जैसा कि विहित किया जाए ऐसे दो अन्य अधिकारी सम्मिलित होंगे ।

(ग) आयुक्तालय क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट, अध्यक्ष होगा और जैसा कि विहित किया जाए ऐसे दो अन्य अधिकारी सम्मिलित होंगे ।

राज्य समिति की शक्तियाँ और कृत्य।

४. राज्य समिति, निम्न शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्न कृत्यों का अनुपालन करेगी, अर्थात् :—

(क) अधिनियम के अधीन साक्षीयों को दिये गये संरक्षण का मानीटर करना ;

(ख) जिला समितियों और साक्षीयों के संरक्षण के लिये पुलिस थानों को आवश्यक निदेश देना ;

(ग) जैसा कि विहित किया जाए ऐसे किसी अन्य शक्तियाँ और कृत्य करना ।

जिला समितियों की शक्तियाँ और कृत्य ।

५. जिला समिति, निम्न शक्तियों का, प्रयोग करेगी और निम्न कृत्यों का, अनुपालन करेगी, अर्थात् :—

(क) समिति की अधिकारिता के क्षेत्र में साक्षीयों को दिये गये संरक्षण का मानीटर करना ;

(ख) जिसे संरक्षण देना हो और ऐसे संरक्षण का विस्तार और स्वरूप का निर्णय करना ;

(ग) साक्षीयों के संरक्षण के लिये प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करना ;

(घ) साक्षीयों के संरक्षण के लिये संबंधित पुलिस थानों को आवश्यक निदेश देना ;

(ङ) राज्य समिति से प्राप्त आदेशों पर आवश्यक कदम उठाना ;

(च) संरक्षण प्रत्याहृत करने के लिये निर्णय करना ;

(छ) साक्षीयों के संरक्षण संबंधी सरकार और राज्य समिति को आवश्यक सूचना मुहैया करना ;

(ज) साक्षीयों का अभिलेख बनाए रखना जिन्हे संरक्षण दिया गया है या प्रत्याहृत किया गया है ;

(झ) जैसा कि विहित किया जाए ऐसी किसी अन्य शक्तियाँ और कृत्यों को करना।

साक्षीयों का संरक्षण ।

६. (१) गंभीर अपराधों में, साक्षीयों को समिति द्वारा संरक्षण मुहैया किया जायेगा यदि,—

(क) साक्षीयों या उसके रिश्तेदारों द्वारा आवेदन किये गये है ;

(ख) विचारण में लोक अभियोजक (पब्लिक प्रासीक्यूटर) और अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा आवेदन किये गये है ;

(ग) अपराध अन्वेषण अधिकारी या अन्वेषण के संबंध में किसी पुलिस अधिकारी का समाधान हो जाता है कि संरक्षण देना आवश्यक है ;

(घ) राज्य समिति द्वारा इस प्रकार निदेशन जारी किये गये है ;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निदेशन जारी किये गये है ;

(च) न्यायालय द्वारा इस प्रकार निदेशन जारी किये गये है ।

साक्षीयों को संरक्षण देने की प्रक्रिया।

७. (१) (क) उसके जीवन में धमकी संबंधी प्राप्त अपराध के विचारण में साक्षी उसके जीवन में धमकी का स्वरूप और जिससे वह प्राप्त हुई है उसमें कथित करके संरक्षण के लिये संबंधित जिला समिति को आवेदन करेगा ।

(ख) अधिनियम के अधीन किसी साक्षी द्वारा किसी पुलिस थाने में कोई शिकायत की गई है के मामले में, उसीके समान आवश्यक कार्यवाही के लिये संबंधित जिला समिति को तत्काल पुलिस अधिकारी द्वारा अग्रेषित की जायेगी ।

(२) छोटे साक्षीयों के मामले में माता-पिता या अभिभावक उस छोटे साक्षीयों के संरक्षण के लिये संबंधित जिला समिति को आवेदन कर सकेंगे ।

(३) समिति, किसी आवेदन की प्राप्ति पर या **स्व-प्रेरणा** से साक्षीयों को संरक्षण देने के लिये किसी विलम्ब के बिना आवश्यक कार्यवाही करेगी । समिति, सहायक पुलिस आयुक्त या, यथास्थिति, जिला पुलिस उप-अधीक्षक से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी से धमकी अवबोधन संबंधी रिपोर्ट तत्काल मांग सकेगी ।

(४) समिति, धमकी अवबोधन पर निर्भरित रिपोर्ट की प्राप्ति पर दण्डिक विचारण में साक्षीयों को अंतरिम शारीरिक संरक्षण देने का निर्णय करेगी ।

(५) रिपोर्ट की प्राप्ति पर, समिति, धमकी अवबोधन के बारे में विस्तृत जाँच करेगी और व्यक्ति जिसका जीवन खतरे में है यदि उसे पहले से ही संरक्षण नहीं दिया गया है तो शरीरिक संरक्षण मुहैया करने के लिये सहायक पुलिस आयुक्त या, यथास्थिति, पुलिस उप-अधीक्षक को निदेश दे सकेगी ।

(६) समिति, अल्पवधि के लिये साक्षीयों को संरक्षण मुहैया करेगी और यदि धमकी अवबोधन लगातार होता है तो समिति, उसका अवधि समय-समय से विस्तारित कर सकेगी जब तक समिति उचित समझे ।

(७) शारीरिक संरक्षण देने के लिये समिति का निर्णय, अंतिम होगा।

(८) संरक्षण का स्वरुप और अवधि समिति द्वारा यथा विनिश्चित किया जायेगा।

अन्वेषण के दौरान साक्षीयों का संरक्षण ।

८. पुलिस अधिकारी जो अपराध की जाँच कर रहा है, का समाधान हो जाता है कि, व्यक्ति के जीवन जिसकी पुलिस थाने में रिपोर्ट या अपराध की जानकारी दर्ज की गई है, या जो कृत्य करने के लिए साक्षी है जो किसी अपराध संस्थापित करने में खतरनाक है तो संबंधित समिति के अनुमोदन से ऐसे व्यक्ति को शारीरिक संरक्षण देगी और जाँच पूरी होने तक उसे जारी रखेगी ।

विचारण के दौरान संरक्षण ।

९. विचारण के दौरान, किसी साक्षी द्वारा आवेदन करने पर या मामले के सहायक लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा यदि न्यायालय उसके स्व-प्रस्ताव पर उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में साक्षीयों के जीवन को खतरा है तो साक्षीयों को शारीरिक संरक्षण देने के लिये जिला समिति को निदेश देगी ।

साक्षीयों को संरक्षण देने के लिये विचार किये जानेवाले घटक ।

१०. संबंधित समिति, साक्षीयों को संरक्षण देते समय निम्न घटकों पर विचार करेगी,—

(क) मामले का स्वरुप ;

(ख) मामले में साक्षीयों का महत्व ;

(ग) साक्षीयों के धमकी के अवबोधन की गंभीरता ;

(घ) साक्षीयों के पूर्ववर्ती अभिलेख ;

(ङ) जैसा कि विहित किया जाए किसी अन्य घटकों ।

जाँच के दौरान साक्षीयों के नाम का अप्रकटन ।

११. अपराध के अन्वेषण से संबंधित अन्वेषण अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी या कोई व्यक्ति जो साक्षीयों के नामों और पतों से संबंधित जानकारी प्राप्त करता है, जिसे संरक्षण दिया गया है उसे मामले के निपटान तक साक्षीयों की जानकारी को प्रकट नहीं करेगा ।

न्यायालय द्वारा किये जानेवाले उपाय ।

१२. दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ के उपबंधों के अध्यधीन यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि, साक्षीयों के संरक्षण के हित में आवश्यक है, तो न्यायालय निम्न उपाय कर सकेगी,– सन् १९७४ का २ । सन् १८७२ का १ ।

(क) न्यायालय द्वारा विनिश्चित किये जानेवालों स्थान और समय में कार्यवाहीयाँ करना ;

(ख) संरक्षित साक्षीयों की साक्ष विडियो लींक या किसी अन्य ढंग द्वारा अभिलिखित करना ;

(ग) उसके आदेशों और न्यायनिर्णयों में या लोगों को उपलब्ध किये जानेवाले मामलों के किसी अन्य अभिलेखों में साक्षीयों के नाम और पतें उल्लिखित करने से टालना ;

(घ) कार्यवाहियों जिसमें साक्षीयों का संरक्षण मंजूर या विस्तारित है, तो न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि ऐसे न्यायालय के समक्ष लम्बित कोई कार्यवाही किसी रीत्या, प्रकाशित नहीं की जायेगी या उसका प्रसारण नहीं किया जा सकेगा ।

अपराध ।

१३. (१) अन्वेषण अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी या कोई व्यक्ति जो उसे ज्ञात है कि साक्षी शारीरिक रुप से संरक्षित है तो, धारा ११ के उपबंधों के उल्लंघन में, ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्षों तक बढाया जा सकेगा या ऐसा जुर्माना, जिसे पाँच हजार रुपयों तक बढाया जा सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

(२) कोई व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा १२ के अधीन न्यायालय द्वारा जारी किये गये किसी आदेश या निदेशन का उल्लंघन करता है तो उसे ऐसी अवधि के कारावास से जिसे तीन वर्षों तक बढाया जा सकेगा या ऐसा जुर्माना जिसे पाँच हजार रुपयों तक बढाया जा सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

अपराधों का संज्ञान ।

१४. धारा १३ के अधीन दण्डणीय अपराध, प्रथम न्यायिक वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय या महानगरीय मजिस्ट्रेट, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध हुआ है के व्दारा संज्ञेय तथा विचारणीय होंगे ।

अधिनियम अन्य विधि के अतिरिक्त तथा अल्पीकरण करनेवाले नहीं होंगे ।

१५. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त और अल्पीकरण करनेवाले नहीं होंगे ।

सद्भावना पूरक कृत्यों का संरक्षण ।

१६. इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में, सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने के लिये आशायित किसी बात के लिये, सरकार या कोई अधिकारी या सरकार के किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

निदेश जारी करने की शक्ति ।

१७. इस अधिनियम के प्रयोजनों या तद्धीन बनाये गये नियमों के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक प्रतीत हो ऐसे निदेश, राज्य सरकार, समय-समय से अधिनियम के अधीन गठित समितियों को दे सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

१८. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी ।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो कि चाहे एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि उस सत्र के, जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या ठिक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन नियम में कोई उपांतरण करने के लिये सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाये और ऐसे विनिश्चय को **राजपत्र** में अधिसूचित करते है, तो नियम **राजपत्र** में ऐसे निर्णय के प्रकाशन के दिनांक से केवल ऐसे परिवर्तित रुप में ही प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जाएगा; तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई या किये जाने से विलुप्त किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति ।

१९. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में, यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन् असंगत ऐसी कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परन्तु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि अवसित होने के बाद, इस उप-धारा के अधीन, ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक, आदेश, उसके बनाए जाने के बाद, यथासंभव शीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा ।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य ।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में **एन.एच.आर.सी.** के विरूद्ध गुजरात राज्य : **एस.सी.ए.एल.ई.** ३२९, पी.यू.सी.एल. के विरूद्ध युनियन ऑफ इंडिया : २००३ (१०) **एस.सी.ए.एल.ई.** ९६७, झहिरा के विरूद्ध गुजरात राज्य : २००४ (४) **एस.सी.सी.** १५८, साक्षी के विरूद्ध युनियन ऑफ इंडिया : २००४ (६) **एस.सी.ए.एल.ई.** १५ और झहिरा के विरूद्ध गुजरात २००६ (३) **एस.सी.ए.एल.ई.** १०४ ऐसे कई निर्णयों में संरक्षण देने के प्रश्न पर आवश्यकता का विचार किया है । साक्षी मामलों में उच्चतम न्यायालय ने, साक्षीयों के संरक्षण पर कानून की जरूरत पर बल दिया है । उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी बल दी गई, जरूरतों को ध्यान में रखते हुये विधि आयोग ने, **स्व-प्रेरणा** से यह विषय हाथ में लिया है । उसने १९८ पृष्ठों का उचित अध्ययन वाला रिपोर्ट दिया है । जिसमें यह पहलू विस्तृत दिया गया है और कतिपय सिफारिशें की गई है । उन्होनें अभिव्यक्त किया है कि इससे साक्षी संरक्षण कार्यक्रम प्रभावी रूप से लागू होगा ।

२. संयुक्त राष्ट्र कन्वेशन के विरूद्ध संक्रमण संघटित अपराध और उसमें के प्रोटोकाल के अधीन, उसके अनुच्छेद २४ में यह अधिकथित किया गया है कि, प्रत्येक राज्य पक्ष, उसके अर्थान्तर्गत उक्त कन्वेशन द्वारा सम्मेलित किये संबंधित अपराधों में जो मौखिक रूप से साक्ष देंगे, उन साक्षीयों को अपराधिक कार्यवाहीं में प्रतिशोध या डाँट-५ पट दिखाने की संभावना के कारण उन्हे प्रभावी रूप से संरक्षण देने के लिए समुचित उपाय करेगा । कई राष्ट्रों ने, साक्षी संरक्षण अधिनियमों को अधिनियमित किया है ।

३. हमारे संविधान के अनुच्छेद २१ के एकीकृत भाग के रूप में उचित विचारण का अधिकार है । जो जीने के अधिकार की गारंटी देता है । उचित विचारण का अधिकार, सिर्फ अभियुक्त के केवल मुलभूत अधिकार नहीं है ; यह शिकायत कर्ता का साथ ही साथ समाज का भी मुलभूत अधिकार है, क्योंकि दोष की दोषसिद्धि हमेशा समाज के शाति पूर्ण जीवन के हित में होती है । पिछले कुछ वर्षों में अपराधों का स्वरूप शीघ्रता से बदल गया है । वह अभियुक्त व्यक्ति के अड़ौस पड़ौस के स्थान तक ही सीमित न रहकर अधिकांश समयों पर अपराध मानवीयता या वैश्विक सुरक्षा के विरोध में हुये है । कानून को लागू करने और अन्वेंषण एजेन्सी को तथा अपराध के कमिशन संबंध में की न्यायालय कार्यावाहियों मे साक्षीदारों की भूमिका साक्ष देते समय विधि के नियम का एक एकीकृत भाग होती हैं । इस प्रयोजन के लिये, यह अनिवार्य है कि यंत्रणा को, साक्षीदारों में विश्वास निर्माण करना चाहिये ताकि, न्यायिक प्राधिकरणों उनकी सुरक्षा के संपूर्ण आश्वासता के साथ हों और कानून लागू करने वालों को सहायता करने के लिए आगे आयेंगे । अतः इसलिये उक्त प्रयोजन के लिये विधि अधिनियमित करना इष्टकर समझा गया हैं।

४. प्रस्तावित विधेयेक की प्रमुख विशेषताएँ, निम्ननुसार हैं,—

(क) राज्य साक्षी संरक्षण समिति, प्रत्येक जिले के लिये जिला साक्षी संरक्षण समिति और महानगरीय क्षेत्रों में महानगरीय क्षेत्र साक्षी संरक्षण समिति, आयुक्तालय क्षेत्र में महानगरीय क्षेत्र से अन्य साक्षी संरक्षण समिति के गठन से संबंधित उपबंध ;

(ख) उक्त समितियों की शाक्तियों और कृत्यों से संबंधित उपबंध ;

(ग) गंभीर अपराधों में साक्षीयों के संरक्षण के लिये उपबंध ;

(घ) अन्वेषण और विचारण के दौरान संरक्षण से संबंधित उपबंध ;

(ङ) साक्षीयों की सुरक्षा की सुनिश्चिति के लिये, अन्वेषण के दौरान साक्षीयों की जानकारी के प्रकटन से संबंधित उपबंध ;

(च) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिये दण्ड।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना हैं।

मुंबई,
दिनांकित ८ अगस्त २०१७ ।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री ।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ, निम्न प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त है, अर्थात् :—

खण्ड १ (३).—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने की शक्ति, प्रदान की गई हैं ;

खण्ड ३.—(क) उप-खण्ड (२) के अधीन, राज्य सरकार को, नियमों द्वारा, राज्य समिति पर अधिकारियों की नियुक्ति, विहित करने की शक्ति प्रदान की गई हैं ;

(ख) उप-खण्ड (३) के अधीन, राज्य सरकार को, नियमों द्वारा, जिला समिति पर अधिकारियों की नियुक्ति, विहित करने की शक्ति प्रदान की गई हैं।

खण्ड ४.—(ग) इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, राज्य समिति द्वारा, प्रयोग किये जानेवाली शक्तियों और अनुपालन किये जाने वाले कृत्यों को, नियमों द्वारा विहित करने की शक्ति प्रदान की गई हैं।

खण्ड ५ (झ).—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, जिला समिति द्वारा, प्रयोग की जानेवाली शक्तियों और अनुपालन किये जानेवाले कृत्यों की, नियमों द्वारा, विहित करने की शक्ति, प्रदान की गई हैं।

खण्ड १० (ङ).—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, साक्षीयों को संरक्षण देने के दौरान, जिला समिति द्वारा, विचार में लिये जानेवाले घटकों को, नियमों द्वारा, विहित करने की शक्ति, प्रदान की गई हैं।

खण्ड १८ (१).—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के प्रयोजनों कार्यान्वित करने के लिये, नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई हैं।

खण्ड १९.—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्रभावी करने में उदभूत होनेवाली किसी कठिनाई को हटाने की शक्ति प्रदान की गई हैं।

२. विधायी शक्ति के प्रयोजन के लिये उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के हैं।

वित्तीय ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक का खण्ड ८, अन्वेषण के दौरान, साक्षी के संरक्षण के लिये उपबंध करता हैं, खण्ड ९ विचारण के दौरान, साक्षी के संरक्षण के लिये उपबंध करता हैं। इसके लिये, कतिपय आवर्ति और अनावर्ति व्यय, राज्य की समेकित निधि में से, उपगत व्यय का करना आवश्यक हैं। तथापि, इस स्तर पर, इस निमित्त उपगत वास्तविक प्राक्कलन देना संभव नहीं हैं, जब कि यह, मामलों की संख्या, जिसमें साक्षीयों को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान की गई हैं, उस पर निर्भय हैं। ऐसा व्यय, राज्य की समेकित निधि में से उपगत किया जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक, भाषा संचालनालय ।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग, आदेश कि प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र साक्षी संरक्षण और सुरक्षा विधेयक, २०१७ ई. पर विचारार्थ करने की अनुशंसा करते है ।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित १० अगस्त २०१७ ।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.